बिहार सरकार
गृह विभाग।

अधिसूचना

दिनांक 1-4-11

संख्या 1494 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में अवस्थित काराओं में नाई एवं सफाई मजदूर के पदों पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तों के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–**

(1) यह नियमावली बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।–** जब तक संदर्भ में कोई बात विरूद्ध न हो, इस नियमावली में–

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित कारा का अधीक्षक;

(iii) "नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित काराधीक्षक;

(iv) "विभाग" से अभिप्रेत है गृह विभाग;

(v) "कारा निरीक्षणालय" से अभिप्रेत है, कारा महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार;

(vi) "स्क्रीनिंग समिति" से अभिप्रेत है संबंधित वृत्त कारा के अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित समिति; तथा

(vii) "बाह्य स्रोत" से अभिप्रेत है वह संस्था/एजेंसी जिसके माध्यम से कार्य/सेवा कर्मी अभ्यर्थी प्राप्त किये जायेंगे और उस कार्य का पारिश्रमिक संबंधित संस्था को दिया जायेगा।

3. **संवर्ग का गठन।–** इस संवर्ग का पदबल राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा स्वीकृत एवं अधिसूचित पदबल/संख्याबल के अनुसार होगा।

4. **आरक्षण।–** नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित आरक्षण नीति का अनुपालन आवश्यक होगा।

5 भर्ती।–

(1) राज्य के काराओं में बंदियों की व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु 'नाई' एवं काराओं के स्वच्छता अधिष्ठापन हेतु 'सफाई मजदूर' के पद पर भर्त्ती होगी।

(2) पूर्व से काराओं में कार्यरत नाई एवं सफाई मजदूरों को पटना उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A सं0 284/97 में दिनांक 11.12.06 को पारित आदेश के आलोक में नियुक्ति हेतु एक अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् शेष बचे पद एवं इस प्रकार नियुक्त नाई/सफाई मजदूर द्वारा रिक्त किये गये पदों पर बाह्य स्रोत से सरकार द्वारा समय–समय पर विहित प्रकिया एवं नियत विहित वेतन/पारिश्रमिक पर सेवा ली जायेगी।

6. अर्हता।–

(i) **शैक्षणिक अर्हता**– राज्य सरकार द्वारा समूह "घ" (वर्ग–4) हेतु यथाविहित न्यूनतम अष्टम वर्ग उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो विहित किया जाये।

(ii) **आयु**:– न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयुसीमा वही होगी, जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

(iii) शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य होगा जिसके लिये नियुक्ति के पूर्व सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जाँच की जायेगी।

(iv) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल0पी0ए0 सं0 284/97 में दिनांक 11.12.06 को पारित न्यायादेश के आलोक में राज्य के काराओं में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कटऑफ तिथि तक पूर्व से कार्यरत नाई/सफाई मजदूरों की नियुक्ति हेतु उम्र सीमा शिथिल करने की शक्ति नियुक्ति प्राधिकार को होगी।

7. भर्ती की प्रकिया।–

(क) (1) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा L.P.A No. 284/97 में दिनांक 11.12.06 को पारित आदेश के आलोक में पूर्व से कार्यरत नाई एवं सफाई मजदूरों को नियमित वेतनमान पर नियुक्ति का एक अवसर प्रदान करने हेतु कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा।

(2) राज्य के काराओं में सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कटऑफ तिथि तक कार्यरत नाई/सफाई मजदूरों से प्राप्त अभ्यावेदनों की स्क्रीनिंग हेतु निम्न प्रकार स्क्रीनिंग समिति गठित होगी:–

1. वृत्त कारा के कारा अधीक्षक – अध्यक्ष
2. वृत्त कारा के सभी कारा अधीक्षक – सदस्य
3. जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनु0 जाति/जन जाति के एक पदाधिकारी – सदस्य

(3) स्क्रीनिंग समिति द्वारा आहूत समिति की बैठक में कम से कम तीन कारा अधीक्षक सदस्यों सहित कुल पॉच सदस्यों की उपस्थिति आज्ञापक होगी। यह समिति कारा महानिरीक्षक के द्वारा समय–समय पर यथाविहित मानदंड/अनुदेशों के आलोक में उपलब्ध कराई गई आवेदकों की सूची का स्क्रीनिंग करने के पश्चात् नियुक्ति हेतु अपनी अनुशंसा कारा महानिरीक्षक को प्रतिवेदित करेगी।

कारा महानिरीक्षक के माध्यम से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर संबंधित कारा के अधीक्षक द्वारा अभ्यर्थी की मेडिकल जाँच के उपरांत नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा।

(ख) बाह्य स्रोत से भर्ती का प्रक्रिया–

कारा महानिरीक्षक, बिहार द्वारा खुली निविदा के माध्यम से अनुमोदित संस्था/एजेंसी से बाह्य स्रोत पर सेवा हेतु अभ्यर्थी प्राप्त किये जा सकेंगे।

संबंधित संस्था/एजेंसी को सेवा पर दिये जाने वाले कर्मी के चरित्र एवं साफ–सुथरे आचरण की गारंटी देनी होगी।

8. **वेतनमान एवं सेवा शर्तें।** –नियमित वेतनमान में नियुक्त कर्मी को वेतनमान रू0 2550–3200/– (अपुनरीक्षित) एवं पे बैण्ड–1 एस, वेतनमान 4440–7440 एवं ग्रेड पे–1300 (पुनरीक्षित) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इन पदों के लिए यथा विहित वेतनमान एवं अनुमान्य अन्य भत्ते अनुमत होंगे।

बाह्य स्रोत से सेवा पर लिये गये ऐसे कर्मियों को इकरारनामे के अनुरूप विहित नियत पारिश्रमिक संबंधित संस्था/एजेंसी के माध्यम से अनुमत होगा।

9. **सम्वर्ग।** – राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत वर्गीकरण के अनुसार यह संवर्ग समूह 'घ' का होगा। साथ ही यह पूर्णतः संबंधित कारा तक ही सीमित होगा।

10. **अनुशासन, अपील एवं दंड ।** –(1) नियमित वेतनमान पर नियुक्त नाई एवं सफाई मजदूर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के प्रावधान लागू होंगे। बाह्य स्रोत आधारित कार्य पर लिए गए कर्मियों की सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर संबंधित काराधीक्षक द्वारा संबंधित फर्म/संस्था से बदल लिया जा सकेगा।

(2) ऐसे कर्मियों की सेवा किसी भी रूप में एवं किसी भी प्रकार से सरकारी सेवा के रूप में परिगणित नहीं होगी और न ही किसी भी प्रकार से ऐसे कर्मी द्वारा ऐसी सेवा का लाभ/दावा नियमित सेवा हेतु किया जा सकेगा।

11. **निरसन एवं निर्वचन।** –

(1) इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के प्रभाव से नाई एवं सफाई मजदूर पद हेतु पूर्व में अधिसूचित एवं लागू सभी संकल्प/परिपत्र/आदेश निरसित समझे जायेंगे।

(2) इस नियमावली के प्रावधानों के संबंध में किसी प्रकार के संदेह के निर्वचन की शक्ति सरकार के अनुमोदन से कारा निरीक्षणालय में निहित होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

सरकार के सचिव,

ज्ञापांक 1494 पटना, दिनांक 1-4-11

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना–800007 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

तथा इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायें।

सरकार के सचिव,

ज्ञापांक 1494 पटना, दिनांक 1-4-11

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,

ज्ञापांक 1494 पटना, दिनांक 1-4-11

प्रतिलिपिः–सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,

ज्ञापांक 1494 पटना, दिनांक 1-4-11

प्रतिलिपिः–कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, केन्द्रीय कारा/मंडल कारा/ उपकारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव,